>

Title : Discussion on the motion for consideration of the Rubber (Amendment) Bill, 2009 (Under Consideration).

MADAM SPEAKER: Item no. 12, Shri Prithviraj Chavan.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Madam Speaker, on behalf of Shri Anand Sharma, I beg to move:*

"That the Bill further to amend the Rubber Act, 1947

be taken into consideration."

Natural Rubber plays an important role in the industrial and economic development of the country. Rubber plantations provide the principal raw material required for manufacture of around 35,000 different items.

14.02Â½ hrs. (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The Indian rubber plantation industry provides direct employment to over four lakh persons and offers large opportunities of employment in allied activities.

Rubber is grown in about 6.5 lakh hectares. There are more than one million small and marginal farmers with an average size of holding of 0.50 hectare engaged in rubber cultivation. ...(*Interruptions*) The small-holding sector accounts for 89 per cent of rubber planted area. India now holds first rank in productivity and fourth in Production of Natural Rubber in the world.

---

* Moved with the recommendation of the President

Development and control of Rubber is regulated under the Rubber Act, 1947. This Act of 1947 is being amended in the light of the 159th Report of the Law Commission of India. This Act was earlier amended in 1994. However, in view of the developments, suitable amendments in the provisions of the Rubber Act, 1947 are needed.

The main amendments that we are bringing are these; the first one relates to the definition of small growers which is being changed from the existing limit of 20 hectares to 10 hectares. This will enable the Rubber Board to utilize the available funds fruitfully for improvement of small holdings. ...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या ये एम.ओ.एस. कामर्स हैं? ये एम.ओ.एस. कामर्स भी नहीं हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं हैं। जब मिनिस्ट्री आर्फ कामर्स का बिल आ रहा है, तो न कैबिनेट मिनिस्टर हैं और न ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदया ने उनको अनुमति दी है।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अनुमति तो दी है, लेकिन क्या बिल के लिए अनुमति है? अगर कोई चीज ले करनी है, उसके लिए अनुमति हो सकती है, पेपर ले करना है, उसके लिए अनुमति हो सकती है, एक बिल पारित कराने के लिए उस विभाग के न कैबिनेट मंत्री हों, न राज्य मंत्री हों और यहां से बिल को पारित कराया जाए, मुझे लगता है, शायद यह पहली बार हो रहा है। आज तक लोकसभा के सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इतनी क्या जल्दी है? अगर बिल इतना महत्वपूर्ण है, तो बिल महत्वपूर्ण होने के नाते बिल का महत्व सरकार भी तो दिखाती।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, अब बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सरकार इस बिल के प्रति गंभीर नहीं है। यह मेरा आरोप है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : दोनों मंत्री विदेश गए हैं और यहां बिल पारित किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए।

â€¦(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): कैबिनेट मिनिस्टर को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जाना था, वहां जाना उनके लिए पहले तय हुआ था। हमारा ख्याल था कि यह बिल पहले आ जाएगा, लेकिन कई बातों के कारण ऐसी परिस्थिति बनी कि इस बिल को आज ही लाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ...(व्यवधान) जो बात मुझे कहनी है, कृपया पूरी कह लेने दीजिए। पिछले कई दिनों से इस बिल को हम लाना चाह रहे थे। ऐसा इत्तेफाक रहा कि आज हम इस बिल को पार्लियामेंट में, लोकसभा में ला पाए, इस कारण वे मंत्री आज यहां उपस्थित नहीं हैं। इसीलिए इससे पहले कि एम.ओ.एस. खड़े होकर आपके सामने इसको प्रस्तुत करें, मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए बाकायदा स्पीकर साहिबा से परमीशन ले ली गयी थी। मैं इसके लिए को-आपरेशन चाहूंगा। ऐसा इत्तेफाक से हो गया है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या एमओएस, कॉमर्स भी गए हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : वे भी गए हुए हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों मंत्री नहीं हों और बिल पारित हो रहा हो। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह जाएंगे। हमारे ऐसे प्रश्न हैं जो आसियान से जुड़े हुए हैं। रबड़ प्लांटेशन के हमारे प्रश्न हैं।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसे ऐसे ही पास कर दीजिए। आप प्रश्न उठाइए, प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा।...(व्यवधान) जैसे कहा गया है, उस पर बाकायदा पूरी डिबेट होगी।...(व्यवधान) एक घंटा क्या, हमने इसके लिए दो घंटे तय किए थे।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल यह जानना चाहती हूं कि क्या आज बिल की डैडलाइन है? अगर आज बिल की डैडलाइन नहीं है तो नबम्बर में जब अगला सत्र आएगा, उस समय दोनों में से कोई मंत्री आ जाएंगे, उस समय इसे पारित कर देंगे। दोनों मंत्रियों की गैर-मौजूदगी में इस बिल को आज ही पारित करना क्यों जरूरी है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की बात भी सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : जैसे मंत्री महोदय आपको बताएंगे कि छोटे ग्रोअर्स के घरों में इसका एक-एक पेड़ भी होता है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वे बहुत दिनों से वंचित हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : रबड़ का पेड़ नहीं होता। जहां तक ग्रोअर्स का सवाल है...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : पेड़ होता है। मैं जो कह रहा हूं, वह शब्द आपने उठा लिया है।...(व्यवधान)

उसे काटकर Latex लिया जाता है। मुझे मालूम है लेटैक्स क्या होता है, लेकिन ग्रो होता है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, ग्रो होता है। ...(व्यवधान) लेकिन पेड़ और पौधे में भी अंतर होता है। बेल भी होती है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : लेकिन उस पर काट लगाकर...(व्यवधान) मुझे उस चीज के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं आपसे और बातों के लिए पूछ लेता हं। इसके लिए आपको मझे समझाने की जरूरत नहीं है। शायद मझे मालम है जो

मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान) जो लोग बहुत छोटी-छोटी झुग्गियों में रहते हैं, उन लोगों को भी इसका फायदा है, प्लांटेशन होता है, इसका उन्हें फायदा होता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है तो हम इसे रोक नहीं सकते।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): दोनों मंत्री विदेश कैसे जाते हैं?...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है, हम उसी पर कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों मंत्री न हों और बिल पारित हो रहा हो।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कैबिनेट में ज्वाइंट रिस्पौंसीबिलिटी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। कैबिनेट की सामूहिक जवाबदेही होती है।

â€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : इसे तीन महीने के लिए नहीं रोकना चाहिए। इसलिए हम इसे लेकर आपके पास आए हैं और तभी इसके लिए इजाजत दी गई है।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : हम ऐलाऊ नहीं करेंगे। यह परम्परा नहीं है, प्रॉपराइटी नहीं है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ नहीं कर सकते।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : सरकार को सोचना चाहिए।...(व्यवधान) यह पूरे दक्षिण भारत के लिए अहम मुद्दा है।...(व्यवधान) दोनों मंत्री विदेश चले जाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: यह बहुत पुराना कमिटमैंट है।...(व्यवधान) देश के हित में है। ...(व्यवधान) It is very important for the country to sign the agreement.

श्री अनंत कुमार : यदि सरकार का कमिटमैंट होता तो एक मंत्री यहां रहते।...(व्यवधान) दोनों मंत्री कैसे छोड़कर गए।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई पर चर्चा शुरू करवाइए, इस बिल को छोड़िए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यह बात सही नहीं है।...(व्यवधान) सुषमा जी ने पहले कहा था कि इस बिल को बिना बहस के पास करवा सकते हैं।...(व्यवधान) आप इसे बिना बहस के पास करवा रही थीं और अब कह रही हैं कि हमने प्रश्न पूछने हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने इसे बिना बहस के नहीं माना था। ...(व्यवधान) मैंने आपसे कहा कि दो घंटे में दोनों बिल पारित कर देंगे।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : जब मैट्रो रेल बिल लगा था तो आपकी पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ से सबने खड़े होकर कहा था कि इस बिल को बिना बहस के पास कर सकते हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने यह नहीं बताया था कि मंत्री जी नहीं हैं।...(व्यवधान)

जब हमने चव्हाण साहब को देखा तब कहा।...(व्यवधान) आप प्राइस राइज़ पर चर्चा शुरू करवाइए।...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज चव्हाण : रबड़ नैगेटिव लिस्ट में है, आसियान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.00 p.m.

14.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till

Fifteen of the Clock.

15.00 hrs.

(The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the clock)

(Mr. Deputy Speaker in the chair)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, सुबह जो बात उठायी गयी थी, वैसे उनकी बात की इज्जत करते हुए हम इस बिल को पोस्टपोन करना चाहेंगे। लेकिन मैं उस संदर्भ में एक-दो बात जरूर कहना चाहूंगा, ताकि कम से कम रिकार्ड ठीक रहे। सबसे पहले मैं रूल 76 का यहां जिक्र करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि --

Rule 76 says:

> "provided that if the member in charge of a Bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate,â€¦."

Not that the Members consider adequate in the House,

> "to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorize another Member to move that particular motion with the approval of the Speaker."

दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रिसिडैंस नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है। इसके दो उदाहरण हैं। अगर आप कहें, तो मैं उनका जिक्र यहां कर देता हूं । मैंने उन्हें रिकार्ड से ले लिया है कि पहले भी ऐसा किया गया है और हाउस ने उसे माना है। आप इस बात से मुत्तफिक होंगे कि क्लैक्टिव रिस्पौंसिबिलिटी गवर्नमैंट की होती है। उसके कारण ही यह कानून इस ढंग से बनाया गया है कि अगर मिनिस्टर किसी वक्त मौजूद नहीं हैं और वे स्पीकर साहब के पास जाकर उसके लिए इजाजत ले लें और उनको अनुमति मिल जाये, तो उसके बाद उस बिल को दूसरे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं सिर्फ इसी बात पर आना चाहता हूं, क्योंकि इस बात पर एतराज उठाया गया है। वह पत्र भी दिया गया है, जिसके तहत यह हुआ है, लेकिन एतराज उठाया गया है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं के खिलाफ हाउस में बात की जाये। बेशक हम यह मानते हैं कि यह स्मॉल ग्रोअर्स को फायदा पहुंचाने के लिए था। इसमें बहुत छोटी सी एक्साइज ड्यूटी थी, जिस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से एतराज लगे हुए थे। इसलिए हम समझते थे कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन ग्रोअर्स को इस चीज का फायदा होना था, इसलिए हमें इसे पारित करना था। लेकिन आपकी बात की पूरी कद्र करते हुए हम इस बिल को अगली बार लेने के लिए कहेंगे।

***m03**

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने सांसदों की भावनाओं की कद्र करते हुए इस बिल को स्थगित करने की बात की है। उन्होंने जो दो बातें रखी हैं, वैसे तो अच्छा था कि वे सीधे इस बिल को स्थगित करते और ये दो बातें न रखते, लेकिन रखी हैं, इसलिए मुझे जवाब देना आवश्यक हो गया है। जहां तक स्पीकर साहब की एप्रूवल का सवाल है, हम सब जानते हैं कि अगर स्पीकर साहब की एप्रूवल न हो, तो कोई भी मोशन मूव ही नहीं हो सकता। लेकिन स्पीकर साहब की एप्रूवल के बाद जब मोशन्स आते हैं, तो एतराज सदन में ही उठता है और मैम्बर्स ही उठाते हैं। जहां तक पूर्व उदाहरण का सवाल है, तो पूर्व में यदि प्रतिपक्ष सतर्क नहीं रहा और उन्होंने इस तरह की चीज होने दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज का प्रतिपक्ष भी सतर्क और सावधान न हो और अपने अधिकारों की मांग न करे। यह बात बहुत साफ है कि दोनों ही मंत्री नहीं हैं और बिल पारित होने के लिए दोनों मंत्रियों की अनुस्थिति में आये, यह सही नहीं है। लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हम लोगों की भावनाओं को मानते हुए इस बिल को स्थगित किया है। वे अगले सत्र में इस बिल को ले आयें, हम इस बिल को पारित करायेंगे। अभी प्राइस राइज की चर्चा बहुत देर से लटकी हुई है, उसे आप प्रारंभ करायें। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.